सं०सं० 10/नि०भ० 16-91/2010

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

[illegible] रूप से [illegible]

प्रेषक,
संजय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा – वित्त विभाग

पटना, दिनांक– 22-2-12

विषयः–गैर–योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना को अतिविशिष्ट अस्पताल, इन्डोक्रीनोलॉजी अस्पताल, नेफ्रोलॉजी अस्पताल एवं हीमोफीलिया केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु विभिन्न कोटि के कुल 27 (सताइस) पदों का स्थायी सृजन तथा वेतन एवं अन्य भत्तों में कुल 44,85,492/– (चौवालीस लाख पचासी हजार चार सौ बानवें) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव ।

आदेशः– स्वीकृत ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि गैर–योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना को अतिविशिष्ट अस्पताल इन्डोक्रीनोलॉजी अस्पताल, नेफ्रोलॉजी अस्पताल एवं हीमोफीलिया केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु विभिन्न कोटि के कुल 27 (सताइस) पदों का स्थायी सृजन तथा वेतन एवं अन्य भत्तों में कुल 44,85,492/– (चौवालीस लाख पचासी हजार चार सौ बानवे) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य सरकार ने प्रदान की है, जो इस कार्यालय इकाई के पूर्व के स्वीकृत पदों के अतिरिक्त है। (व्यय विवरणी संलग्न)

2– नेफ्रोलॉजिस्ट, इन्डोक्रीनोलॉजिस्ट, इन्स्थेटिस्ट, रेजिडेन्ट डॉक्टर एवं पैथोलॉजिस्ट के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति तथा सुरक्षा प्रहरी एवं झाडुकश के पदों को आउटसोर्स से कराया जाएगा ।

विभिन्न कोटि के सृजित पदों का विवरणी निम्नांकित हैः–

| क्र० सं० | पदों का विवरणी | सृजित पदों की संख्या | वेतन बैण्ड+ग्रेड वेतन |
|---|---|---|---|
| 1 | Director | 01 | 37400–67000 +8700 |
| 2 | Superitandent | 01 | 15600–39100 +7600 |
| 3 | Nephrologist | 02 | संविदा के आधार पर |
| 4 | Endocrinologists | 02 | |
| 5 | Anesthetist | 02 | |
| 6 | Resident Doctor | 04 | |
| 7 | Pathologist | 02 | |
| 8 | Librarian | 01 | 9300–34800 +4200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Nurse | 06 | [illegible] |
| 10 | Record Room Staff | 01 | 5200-20200 +2800 |
| 11 | Clerks | 02 | 5200-20200 +2000 |
| 12 | Dialysis Technician | 03 | 5200-20200 +2000 |
| 13 | Security | | आउटसोर्स |
| 14 | Sweepers | | |
| | Total | 27 | |

3- इस राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र स0-2561वि0(2) दिनाक-17.04.98, 2419वि0(2) दिनांक-05.04.2007, 8593वि0(2) दिनांक-27.11.2007, 96वि0(2) दिनाक-03.01.2008 एव 3923वि0(2) दिनांक-09.04.2010 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

4- इस राशि का व्यय मांग संख्या-20 मुख्य शीर्ष-2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-ऐलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं-0005-अन्याय औषधालय स्थानीय औषधालय, विपत्र कोड-N2210012000005 के अन्तर्गत वेतनादि इकाई से वित्तीय वर्ष 2011-12 मे विकलनीय होगा ।

5- राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना एव संविदा के अधार पर नियुक्त चिकित्सकों तथा आउटसोर्स पर लिए गये सुरक्षा प्रहरी एवं झाड़ूकश एवं निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पटना होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6- संबंधित राज्यादेश में महालेखाकार, बिहार पटना से प्राधिकार-पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध है।

7- राशि की निकासी पटना जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

8- राज्यादेश प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

9- यह मात्र राज्यादेश है आवंटनादेश अलग से निर्गत की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापाक- 1176(10) /स्वा0, पटना, दिनाक- 22-2-12

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/सिविल सर्जन, पटना/निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/अपर सचिव के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं,10 तथा कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।